जापान का आधुनिकीकरण

Ashish Kumar Thakur
B.A.II, History(H), Paper-IV
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur
Samastipur.

19वी शदी के प्रथम भाग तक जापान पृथक्ता की नीति का अनुशरण करता रहा। वह विश्व के सभी देशों से अपने को अलग रखता था। संसार के किसी देश से उसका संपर्क नहीं था। उसकी आंतरिक स्थिति भी अच्छी नही थी। देश में सामंती व्यवस्था प्रचलित थी और समाज मे सामंतों का ही बोलबाला था। सम्राट वहाँ का नाममात्र का शासक था। शासन की सत्ता वास्तव में शोगुन-सामंतों के हाथ में थी।

1868 ई० की क्रांति :- 1854 ई० में अमेरिका का एक नौ-सेनापति; कोमोडोर पेरी जापान पहुँचा और उसी वर्ष जापान तथा अमेरिका में एक संधि हुई। इसके बाद जापान का दरवाजा पश्चिमी देशों के लिए खुल गया। अन्य यूरोपीय देशों ने भी जापान के साथ संधियाँ की। इसके बाद जापान पर यूरोपीय सभ्यता-संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा। यूरोप के प्रभाव से जापान मे एक शांतिपूर्ण क्रांति हो गई। शोगुन-सामंतों के हाथों से राजशक्ति छीन ली गई और सम्राट पुन: वास्तविक सर्वेसर्वा बन गया। सारी शक्ति सम्राट के हाथों में आ गई। इस घटना को जापान के इतिहास मे मेजी पुनर्स्थापना या मेजी क्रांति (Meji Restoration) कहते हैं। जापान के इतिहास में मेजी क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी; उसके बाद जापान में एक नए युग का आरम्भ हुआ। इसी युग मे जापान का आधुनिकीकरण हुआ तथा प्रत्येक क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुए। इस युग मे देश के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए।

(i) सामंती प्रथा का उन्नमूलन :-
पहले से जापान में सामंती प्रथा प्रचलित थी। इसके कारण देश का विकास रुक गया था। 1871 ई० मे जापानी सम्राट ने एक घोषणा द्वारा सामंती प्रथा को विधिवत समाप्त कर दिया। सामंतो का जीवन-निर्वाह के लिए आजीवन पेंशन की व्यवस्था की गई। सामंती प्रथा के अंत हो जाने से सारा देश एक सूत्र में बंध गया और जापान एक राष्ट्र बन गया।

(ii) नए संविधान का निर्माण :- 1889 ई० में जापान का एक नया संविधान बना। इस संविधान का आधार जर्मनी का संविधान था।

Ashish

नए संविधान के अनुसार, सम्राट राज्य का प्रधान था। पार्लियामेंट की सहायता से वह शासन करता था। पार्लियामेंट के दो सदन होते थे।
एक में जनता के प्रतिनिधि और दूसरे में निहित वर्गों के प्रतिनिधि होते थे। देश के मंत्री सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। वे सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे ना कि पार्लियामेंट के प्रति।
प्रजातंत्र की उच्छृंखलता को दूर करने के लिए तथा देश के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए इस प्रकार का संविधान बनाया गया था।
विदेशियों को भूमि-संबंधी अनेक अधिकार प्राप्त थे। जापानी लोग इस प्रथा को बुरी समझते थे क्योंकि इससे वहाँ के कानून पर प्रभाव पड़ता था। अतः नई सरकार ने प्रशा और फ्रांस की कानूनी पद्धति के आधार पर नूतन विधान संहिता तैयार की। कुछ प्राचीन प्रथाओं का अंत कर दिया गया और संहिता को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया।

(iii) न्यायिक सुधार :- कानूनों में सुधार करके आधुनिकीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया गया। 1880 ई० में फ्रांस के आधार पर फौजदारी कानूनों और 1898 ई० में जर्मनी के आधार पर दीवानी कानूनों का निर्माण किया गया।
1899 ई० में एक विधान के अनुसार विदेशियों को भी जापानी न्यायालय में न्याय प्रदान किया जाने लगा। इसके पहले विदेशी लोग जापान की कानूनी पद्धति से मुक्त रहते थे।

(iv) सैनिक सुधार :- जापान में मेजी क्रांति के पूर्व सैनिक व्यवस्था सामंती प्रथा पर आधृत थी। सेना का निर्माण केवल समुराई लोगों द्वारा होता था। जनसाधारण को सैनिक सेवा का अवसर मिलता था मेजी क्रांति के बाद इस प्रथा का अंत कर दिया गया तथा सभी वर्ग के लिए सेना में भर्ती होने का दरवाजा खोल दिया गया।
इस तरह सेना का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। अब कोई भी व्यक्ति सेना में भरती हो सकता था और अपनी योग्यता के अनुसार सैनिक क्षेत्र में उन्नति कर सकता है।

Ashish

Scanned with CamScanner